ISSN 2321-0567
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

भारतीय राजनीति में महिला सशक्तिकरण : अधिकार व चुनौतियों का विश्लेषणात्मक अध्ययन

मीनाक्षी शर्मा
शोध छात्रा
राजनीति विज्ञान विभाग
जे0वी0 जैन कॉलेज, सहारनपुर (उत्तर प्रदेश)

स्त्री समाज पर जब हम विचार करना चाहते है तो अनेक प्रश्न खड़े हो जाते है। किस युग की स्त्री पर विचार करे, किस समाज की स्त्री पर विचार करें, भारत में महिलाओ की स्थिति ने पिछली कुछ सदियो में बडे बदलावों का सामना किया हैं। प्राचीन काल में पुरूषों के साथ बराबरी की स्थिति से लेकर मध्ययुगीन काल के निम्न स्तरीय जीवन और साथ ही कई सुधारकों द्वारा समान अधिकारों कों बढावा दिये जाने तक, भारत में महिलाओं का इतिहास काफी गतिशील रहा हैं। आधुनिक भारत में महिलाएं राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, लोक सभा अध्यक्ष, प्रतिपक्ष की नेता आदि महत्वपूर्ण पदों पर आसीन हैं।

हिन्दू धर्म में महिलाओं का स्थान व महत्व उतना ही रहा हैं जितना की पुरूषों का हैं। किसी भी समाज में स्त्रियों का तात्पर्य इसी बात का द्योतक हैं कि उन्हें कौन कौन से अधिकार प्राप्त हैं, उनके क्या क्या कार्य हैं और उनसे किन कार्यों से सम्पादन की आशा हैं। हमारें हिन्दू समाज में उन्हे मातृत्व का दर्जा दिया गया है, तभी हमारें देश को 'भारत माता' कहकर हम आपनी राष्ट्रीयता को व्यक्त करते हैं। अर्थात हमारी राष्ट्रीयता भारतीय इसलिए हैं कि हम भारत माता की संतान हैं। यह सच हैं कि नारी के ऑचल से ही मानवता का जन्म हुआ हैं। फिर भी विभिन्न कालों में उनकी स्थिति भिन्न भिन्न रही हैं।

वैदिक काल में महिलाओं को गरिमामय स्थान प्राप्त था। इस काल में नारियॉ को कुल देवी, अद्व र्गिनी, सहधर्मिणी, सहचरी माना जाता था। वैदिककाल में महिलाओं व पुरूषों को एक समान शिक्षा दी जाती थी। इस युग में बहुत सी विदुषी महिलाएं भी हुई हैं। इस युग में बाल विवाह का प्रचलन नही था। हवन–अनुष्ठानों को पूर्ण करने के लिए पत्नी का होना अनिवार्य समझा जाता था। वैदिक युग को हिन्दू समाज का स्वर्ण युग कहा जाता हैं। ***"यत्र नार्यस्तु पूज्यन्ते रमन्ते तत्र देवता"*** अर्थात जहॉ नारियों की पूजा की जाती हैं वहॉ देवता वास करते हैं। क्षत्रिय समाज की स्त्रियां तो पुरूषों के साथ युद्व में भी साथ देती थी अर्थात उनके लिए पतिव्रत धर्म अनिवार्य था। स्त्रियों की रक्षा करना पुरूषों का सबसे बड़ा धर्म माना जाता था।

ईसा से 600 वर्ष पूर्व तक का समय उत्तर वैदिक काल माना जाता हैं। इस काल में महिलाओं की शिक्षा बधित होने लगी थी। उन्हें पढ़ने–लिखने का अवसर न प्राप्त होने के कारण, वेदों का ज्ञान, उनके धार्मिक–संस्कार में भाग न लेने आदि के कारण महिलाओं की स्थिति में काफी गिरावट प्रारम्भ

हो गयी थी। मनुस्मृति के अनुसार स्त्री पुरूष की दासी और मनोरंजन मात्र बनकर रह गयी।

ईसा के बाद 11 वीं शताब्दी तक का काल स्मृतिकाल के नाम से जाना जाता हैं। 11 वी शताब्दी से 19 वी शताब्दी के बीच में भारत में महिलाओं की स्थिति काफी दयनीय होती गईं थी। एक तरह से यह महिलाओं के सम्मान, विकास और सशक्तिकरण का अन्धकार युग था। परिणाम स्वरूप महिलाओं की स्वतन्त्रता पूर्णतः समाप्त कर दी गयी थी। इस दौरान कुलीन विवाह के नाम पर अयोग्य विवाह, बहु पत्नी विवाह, जैसी कुप्रथाएं भी समाज में विद्यमान थी। अर्थात यह युग सामाजिक धार्मिक संकीर्णता का युग था।

11 वी0 से 18 वी0 शताब्दी तक का काल मध्यकाल कहा जाता हैं। इस काल में समाज में भारतीय महिलाओं की स्थिति में अधिक गिरावट आयी, जब भारत के कुछ समुदायों में सती प्रथा, बाल विवाह और विधवा पुर्नविवाह पर रोक थी। भारतीय उपमहाद्वीप में मुसलमानों की जीत ने पर्दा प्रथा को समाज में ला दिया। राजस्थान के राजपूतों में जौहर की प्रथा थी। इस काल में इस्लाम शासन का प्रभुत्व बढ़ने लगा था। धर्म का शोषण हुआ जिससे अंधविश्वास बढ़ गया। कभी शक्ति स्वरूपा कही जाने वाली नारी अबला कही जाने लगी।

19 वी0 शताब्दी से आधुनिक काल का प्रारम्भ हुआ। वर्तमान भारत में स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतू काफी सुविधाएं प्राप्त हुई, जिससे उनकी स्थिति में क्रान्तिकारी परिवर्तन आया हैं। 19 वी0 शताब्दी में सुधारवादी अभियान का प्रारम्भ हुआ। इस अभियान में मुख्य भूमिका पुरूषों की रही। सुधारवदी अभियान के प्रणेता राजा राम मोहनराय हैं। उन्हें पुनर्जागरण अभियान का जनक भी कहा जाता हैं। उन्होंने स्त्री समाज की कुरीतियों को समाप्त करने का संकल्प लिया जो स्त्री – समाज के लिए और साथ ही साथ भारत के लिए भी कलंक बनी हुई थी। इसका मुख्य कारण यह था कि सामाजिक और राजनीतिक जागृति इतनी अधिक विकसित नही हुई थी, कि वह धर्म को प्रभावित कर सके। क्योंकि इस सदी में धर्म की परख सामाजिकता की कसौटी पर की जाने लगी थी। राजा राममोहन राय ने समाज को एक नई दिशा प्रदान की। उन्होंने ब्रिटिश शासन काल में महिलाओं की समस्याओं को लेकर एक अभियान प्रारम्भ कर दिया। इसमें मुख्य – सती प्रथा, विधवाओं के साथ दुर्व्यवहार, विधवा पुर्नविवाह निषेध, बाल विवाह की प्रथा, बहु–पत्नी विवाह की प्रथा स्त्री को सम्पत्ति के अधिकार से वंचित रखना। उन्होंने स्त्री शिक्षा पर भी जोर दिया। सती–प्रथा के विरूद्व इतना व्यापक अभियान छेड़ा गया कि 1829 में लार्ड विलियम बैटिंक ने सती–प्रथा को गैर कानूनी घोषित कर दिया, साथ ही इसके विरूद्व कानून बना दिया। राजा राममोहन राय ने महिलाओं को भी सम्पत्ति पर अधिकार का हक मिले इस पर भी लेख लिखे। उन्होंने ब्रहमसमाज की स्थापना की जिससे व्यवस्थित रूप से इस अभियान को चलाया जा सके और महिला समाज की बुराईयों को दूर किया जा सकें।

केशवचन्द्र सेन ने **"Social Reform Assosication"** नामक संस्था की स्थापना की थी। जिसके माध्यम से वे स्त्रीसमाज के उत्थान के लिए कार्य करते थे। उन्होंने ने गोष्ठीयों के माध्यम से नारी

ISSN 2321-0567
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

शिक्षा को बढ़ावा दिया। इन्होने विधवाओ के पुर्नविवाह की बात का जोरदार समर्थन किया था।

1867 में **प्रार्थना समाज** की स्थापना आत्माराम पाण्डुरंग ने की थी। इन्होनें महिला आन्दोलन को एक नई गति प्रदान की या कहे कि इस संस्था के द्वारा महिलाओं की समस्याओं पर ध्यान दिया गया जैसे– बाल विवाह पर प्रतिबन्ध लगाया जाएं, स्त्री शिक्षा को प्रोत्साहन दिया जाएं, विधवा पुर्नविवाह को प्रोत्साहन दिया जाएं, विधवा–आश्रम की स्थापना की जाएं और स्त्रियों को सामाजिक और सम्पत्ति सम्बन्धी अधिकार दिये जाएं।

स्वामी दयानन्द सरस्वती और उनका **'आर्य समाज'** दोनों ने महिलाओं के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई हैं। वे स्त्री–शिक्षा में क्रांति के द्योतक हैं। उन्होंने शिक्षा जगत में यह कहकर कि सभी वर्ण की महिलायें शिक्षा प्राप्त कर सकती हैं तहलका मचा दिया था। इसके लिए उन्होंने अभियान भी किया। वे इस बात के विरोधी थे कि शूद्र वर्ण की स्त्रियों को धर्म ग्रन्थ पढ़ने न दिया जाएं। उन्होंने वेदों के आधार पर यह प्रमाणित कर दिया कि शूद्रों को भी वेदों के अध्ययन का अधिकार हैं।

ईश्वरचन्द्र विद्यासागर और महात्मा ज्योतिबाफूले के अनुसार महिलाओं के पिछड़े होने का कारण जाति व्यवस्था हैं। इन लोगों ने महिलाओं के उत्थान के लिए अनेक कार्य कियें। ज्योतिबाफूले ने निम्न जातियों की महिलाओं और बालिकाओं के लिए विद्यालय की स्थापना भी की।

वर्तमान समय में भारत में स्त्रियों को अपने व्यक्तित्व के विकास हेतू काफी सुविधाएं प्राप्त हुई हैं जिससे उनकी स्थिति में क्रांन्तिकारी परिवर्तन आया हैं। इस सदी के मध्यकाल से लेकर इक्कीसवीं सदी तक आते–आते पुनः महिलाओं की स्थिति में सुधार हुआ और महिलाओं ने शैक्षिक, राजनीतिक, सामाजिक, आर्थिक, धार्मिक, खेलकूद आदि विविध क्षेत्रों में उपलब्धियों के नए आयाम प्राप्त कियें। आज महिलाएं आत्मनिर्भर व स्वनिर्मित हैं। जिसने पुरूषों को चुनौतीपूर्ण क्षेत्रों में भी अपनी योग्यता प्रदर्शित की हैं।

महिलाओं के साथ भेदभाव की प्रक्रिया उनके जीवन पर्यन्त चलती रहती हैं। महिलाओं के साथ असमानता व दुर्बलता को जीवन के प्रत्येक क्षेत्रों में अर्थात आर्थिक, राजनीतिक, सामाजिक, शिक्षा, स्वास्थ्य पोषाहार इत्यादि में स्पष्ट रूप से देखा जा सकता हैं। **कमला भसीन** महिलाओं की सशक्तिकरण की आवश्यकता पर बल देते हुए कहती हैं कि चूकिं महिलाएं इस विश्व को युद्व व हिंसा से मुक्त कर सकती हैं और सतत् विकास महिला केन्द्रित होती हैं अतः महिला सशक्तिकरण अत्यन्त आवश्यक हैं।

21 वी सदी के द्वार पर खड़े विश्व के सामनें महिलाओं की भागीदारी को लेकर गरमागरम बहस जारी हैं। ये बहस हो भी क्यों न, क्योंकि कुल जनसंख्या का लगभग 50 प्रतिशत आबादी जो हैं इसका एक छोटा सा भाग ही शिक्षा, सामाजिक सेवा एवं व्यवस्था में हैं। शेष घर की चहारदिवारियों में कैद पुरूष प्रधान समाज के नियंत्रण एवं दबाव में जीवनयापन करने को विवश हैं। खासकर ग्रामीण महिलाएं जो शिक्षा से वंचित होकर सुबह चुल्हें के साथ गरम होती हैं और रात्री चुल्हें के साथ शान्त होती हैं। ये चेतनशीलता एवं शिक्षा से कोसो दूर होती हैं। ऐसे में उनकी भावनाएँ,

इच्छा और अन्तरात्मा की आवाजें चाहकर भी घर की चहारदिवारियों में घूट–घूट कर अपना दम तोड़ती नजर आती हैं। वैसे तो वर्तमान समय में सामाजिक व्यवस्था में महिलाओं की अपनी कोई जाति नही होतीं। वह पति, पिता, गाँव के रिश्तें आदि के नामों से जानी पहचानी जाती हैं।

महिला सशक्तिकरण का तात्पर्य यह हैं कि महिलाओं के पास शक्ति व क्षमता हो, जिसके द्वारा वे समाज में अपनी सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक पक्ष को मजबूत कर सकें, जिसके आधार पर महिलाएं स्वयं को परिधि से केन्द्र में स्थापित कर सकें। महिला सशक्तिकरण वास्तव में महिलाओं की स्थिति में परिवर्तन तथा उनके प्रति समाज की विचारधारा में उदारता के सामजस्य के साथ ही सभ्य हैं। विस्तृत रूप में महिला समानता, कल्याण, सुरक्षा, संरक्षण, लिंग, न्याय, सामाजिक न्याय जैसे कितने ही नाम व वाद देने के पश्चात् संयुक्त राष्ट्र संघ ने अब विश्व की आधी आबादी में जीवन यापन करती महिलाओं के समुचित विकास की बात की हैं।

इस संदर्भ में संयुक्त राष्ट्र संघ ने अन्य राष्ट्रो से यह अपेक्षा की हैं कि महिलाओं को राजनीतिक सत्ता मे सहभागिता का अवसर मिले ताकि वे राज्य व राष्ट्रीय स्तर पर आर्थिक व सामाजिक विकासोन्मुखी नीति निर्माण व उसके क्रियान्वयन में अपनी सकारात्मक भूमिका का सम्पादन कर सकें। महिला सशक्तिकरण के महत्व पर प्रकाश डालते हुए स्पष्ट किया जाता हैं कि ***"औरतों को शक्ति, क्षमता, और कबिलियत देता है ताकि वे अपने जीवन की दिशा को स्वयं निर्धारित कर सकें।"***

भारतीय संविधान में मूल्यों, स्वतन्त्रता, समानता, बन्धुत्व एवं सामाजिक न्याय की अवधारणा विधमान हैं। जमाने के बदलते स्वरूप के साथ साथ नारी को अमानवीय मानने वाली मान्यताएँ भी धीरे धीरे समाप्त हो रही हैं। ग्रामीण अंचल से जुड़ी रहने वाली महिलाएं आज कम्प्यूटर से खेलने लगी हैं। युद्ध मे सैनिक की भूमिका निभाकर अपनी शक्ति व शौर्य को प्रकट कर रही हैं, उसने शिक्षा के ज्ञान और राजनीति के साथ साथ आर्थिक, सामाजिक, साहित्यिक आदि सभी क्षेत्रो में अपनी सफलता की मिशालें खड़ी कर दी हैं।

आज नारी को अबला कहना उसके आत्म सम्मान की हानि करना हैं, और यह पुरूषों की नारी के प्रति घोर अन्याय हैं। यदि बल का अर्थ पशुबल हैं तो निःसन्देह महिलाएं पुरूषों से कमजोर हैं क्योंकि उसमें पशुता नही हैं। लेकिन यदि बल का अर्थ नैतिक बल से हैं तो महिलाएं पुरूषों से अनन्त गुणवान व शक्तिशाली हैं। इस प्रकार अपनी द्रविता के साथ नारी को उपेक्षित, उत्पीड़ित, ग्रसित, शोषित व संवेदित कर कोई भी समाज आगे नहीं बढ़ सकता।

स्वतन्त्रता के लम्बे अन्तराल के बाद भी देश की संसद और राज्यों की विधानसभाओं मे महिलाओं की उपस्थिति 10 प्रतिशत से अधिक नही बढ़ पाईं हैं। यह स्थिति अत्यधिक दुःखद तब हो जाती हैं जब एक वर्ग की महिलाएं दूसरे वर्ग की महिलाओं के विरूद्ध तंज कसती हैं। यानी इसके बावजूद की औरत सबसे पहले औरत हैं यह देह हैं। यह औरत के खिलाफ ऐसा षडयन्त्र हैं, जो उसे सामाजिक, राजनीतिक परिवर्तन के संघर्ष मे कदम से कदम मिलाकर चलने मे अवरोध पैदा करता है। अवसर की समानता की परिप्रेक्ष्य में महिला आरक्षण विधेयक का

ISSN 2321-0567
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

समर्थन सभी प्रमुख राष्ट्रीय पार्टियाँ जैसे :– काग्रेस, भाजपा, वामपन्थी करते हैं। क्षेत्रीय दलों में भी विरोध नही के बराबर हैं। फिर भी महिलाओं को अभी तक अधिकार नही मिल पाया हैं। स्पष्ट हो जाता है कि भारत में जाति से ही सब कुछ शुरू होकर यही खत्म हो जाता हैं। उदारवादी प्रजातन्त्र के सारे सिद्धान्त भारत में जाति के जाल में जकड़े प्रतीत होते हैं।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थो में महिला को इस योग्य बनाना हैं कि वे अपनी बुद्धिमत्ता, अपनी सुविधाओं, अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को प्रत्यारोपित कर सकें।

1950 और 1960 के दशक में महिला आन्दोलन की स्थिति में कोई नई गति नही देखी गई। यह केवल 1970 का दशक ही था जिसमें हमें विकास दिखाई देता हैं। संविधान में महिलाओं को मौलिक अधिकार और नीति–निदेशक तत्वों के रूप में संरक्षण प्रदान किया हैं। जहाँ एक और संविधान में न्याय, समानता व बन्धुता की बात की जाती हैं तो दूसरी और अनुच्छेद 14, 15 (1), 15(3), 16, 17 21 (।), 23 में भी महिलाओं को विभिन्न रूपों में संरक्षण प्रदान किया। भारतीय संविधान में अनुच्छेद –14 के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में किसी व्यक्ति को विधि के समक्ष समानता से या विधिओं के समान संरक्षण से वंछित नही करेगा। अनुच्छेद –15 के अनुसार राज्य किसी नागरिक के विरूद्ध मूलवंश, धर्म, जाति, जन्मस्थान या लिंग इनमे से किसी व्यक्ति के आधार पर भेदभाव नहीं करेगा। अनुच्छेद–15 (3) के अन्तर्गत कोई भी राज्य को स्त्रियों और बच्चों के सम्बन्ध में विशेष उपबन्ध करने से नहीं रोक सकता। अनुच्छेद–16 के अनुसार राज्य के अधीन किसी पद पर सभी नागरिकों को रोजगार और नियुक्ति में समान अवसर प्राप्त होगें। संविधान के नीति–निर्देशक तत्वों में कुछ निर्देश महिलाओं के लिए खास तौर से सम्बन्धित है। जैसे अनुच्छेद– 38 (2) असमानताओं को कम करने का प्रयास राज्य करेगा, और 39 (।) राज्य जैसी व्यवस्था करेगा कि प्रत्येक स्त्री–पुरूष को समान रूप से आजीविका के पर्याप्त साधन जुटाये गा। अनुच्छेद 39 (क) के अन्तर्गत स्त्री व पुरूष को समान कार्य के लिए समान वेतन प्राप्त हो।

73 वें एवं 74 वें संविधान संशोधन के द्वारा महिलाओं के लिए पंचायतों मे एक–तिहाई स्थानों के आरक्षण का प्रावधान किया। लेकिन वर्तमान समय में इसे आधार दिया गया हैं। महिलाओं की दशा में सुधार व उनके उत्थान के लिए **'राष्ट्रीय महिला आयोग'** की स्थापना की गई हैं।

बीना मजूमदार के अनुसार **"सविधान में लैंगिक समानता अपना लेने मे महिलाओं की अपनी स्वतन्त्र पहचान का सपना पूरा हुआ है।"** 1971 में महिलाओं की स्थिति की जांच के लिए एक समिति की स्थापना हुई, जिसमें अपनी रिपोर्ट ***"Towards Equality"*** 1974 से प्रकाशित की और यह कहा कि भारत में महिलाओं का लिंग अनुपात तेजी से कम हो रहा हैं और महिलाओं को पंचायतों मे आरक्षण प्रदान करने का समर्थन किया गया।

यद्यपि महिलाओं ने देश के हर राजनीतिक आन्दोलन मे बढ़–चढ़कर हिस्सा लिया। आजादी की लड़ाई में इण्डियन नेशनल आर्मी एवं हिन्दूस्तान रेबूशनरी पाट्री में महिलाओं की भूमिका महत्वपूर्ण रहीं। आजादी के बाद विभिन्न आन्दोलन की दमदार आवाज संसद और विधानसभा में गुंजे, हर क्षेत्र मे

अपनी कामयाबी के झण्डें गाड़ती महिलाएं, राजनीति के क्षेत्र मे आज भी अपने आपको ठगा महसूस कर रही हैं।

पंचायती राज्य अधिनियम 1992 के अन्तर्गत तत्कालीन प्रधानमन्त्री राजीव गांधी ने महिलाओं को 33 प्रतिशत आरक्षण पंचायती राज्य संस्थाओं और स्थानीय निकायों मे देने की बात कही थी, जिसे प्रधामन्त्री एच0डी0 देव गौडा ने भी स्वीकार किया। वर्ष 1996 में महिलाओं को एक–तिहाई आरक्षण प्रदान करने के लिए संसद में पहली बार एक विधेयक प्रस्तुत किया गया।

इस प्रकार महिला सशक्तिकरण का वास्तविक अर्थो में महिला को इस योग्य बनाना हैं कि वे अपनी बुद्विमता, अपनी सुविधाओं, अपनी योग्यताओं एवं क्षमताओं को प्रत्यारोपित कर सकें। भारतीय नारी उत्थान प्रक्रिया के इसी क्रम में संयुक्त राष्ट्र संघ द्व ारा वर्ष 2000 को विश्व महिला वर्ष मनाने के बाद भारत में नारी उत्थान को विशेष महत्व देते हुए वर्ष 2001 को महिला सशक्तिकरण वर्ष के रूप में मनाया गया। इस सन्दर्भ में नोबेल पुरस्कार विजेता व अर्थशास्त्री प्रो0 अमर्त्य सेन ने लिखा हैं कि महिला सशक्तिकरण से न केवल महिलाओं के जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ेगा, बल्कि पुरूषों व बच्चों को भी लाभ प्राप्त होगा।

आज हमें महिला सशक्तिकरण जैसे मुद्दे पर रणनीति बनाने की आवश्यकता इसलिए पड रही हैं क्योंकि महिलाएं सशक्त नही हैं। इन सब का कारण कोई भी हो, वस्तुतः हमारे लिए एक चुनौती हैं। सामाजिक, आर्थिक व राजनीतिक रूप में महिलाओं का कमजोर होना और विगत दशको में इस सन्दर्भ में किए गए प्रयासो में कोई ठोस परिणाम प्राप्त न होना, हमे पुनः इस चुनौतीपूर्ण कदम को उठाने के लिए मजबूर करता हैं।

महिलाओं को सशक्त करने के लिए गांधी जी ने पुरूष व महिला में मूलभूत एकता व समानता को स्वीकृति प्रदान करते हुए लिखा हैं कि, ***"मेरे अपने मत मे स्त्री और पुरूष एक हैं और उनकी समस्याऐं भी सार रूप में एक ही हैं। दोनों में एक ही आत्मा का वास है, दोनों एक ही प्रकार का जीवन जीते हैं तथा दोनों की समान भावनाऐं हैं, जो एक दूसरे के पूरक हैं तथा एक दूसरे के सक्रिय सहयोग के बिना नहीं रह सकते।"*** वास्तव में महिलायें जब तक स्वयं सशक्त, निर्भीक व दृढ़ प्रतिज्ञ नहीं होंगी, तब तक महिला सशक्तिकरण की राह पर आगें कदम बढाना कठिन प्रतीत होता हैं, केवल पुरूषों पर आश्रित रहकर महिलाएं सबल व सशक्त नहीं बन सकती हैं।

महिला सशक्तिकरण के संदर्भ में यदि चुनौतियों पर बात की जाये तो स्पष्ट होता हैं, कि पहले के मुकाबले राजनीति में काफी महिलाएं आ रही हैं और सफलता भी प्राप्त कर रही हैं, किंतु उनकी संख्या अपेक्षित स्तर पर नहीं है, इस संदर्भ में महिलाओं के लिए सबसे बडी रूकावट उनकी राजनीतिक सोच, राजनीतिक विचारधारा और राजनीतिक जागरूकता की कमी होना हैं, जिसमें महत्वपूर्ण भूमिका शिक्षा की होती हैं। हमारे देश में बालिका शिक्षा की क्या स्थिति हैं, यह किसी से छिपा नहीं हैं। शहरों में अवश्य लड़कियों को शिक्षा प्राप्त करने का पूरा अवसर प्रदान किया जाता हैं, जबकि गांवों में स्थिति आज भी बेहद पिछड़ी हुई हैं, वहाँ लड़कियों को विद्यालय भेजने में उनके घर वाले कतराते हैं और विभिन्न सामाजिक

ISSN 2321-0567
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

व आर्थिक कारणों में बालिकाएँ स्वयं भी स्कूल छोड़ देती हैं। **आक्सफेम इंटरनेशनल** द्वारा प्रकाशित रिपोर्ट में गरीबी और शिक्षा की कमी के संबंध और स्त्रियों के जीवन के प्रभावों के बारे में एक प्रभावपूर्ण विश्लेषण किया गया हैं। प्रतिवेदन में निरक्षरता का वर्णन करते हुए कहा गया हैं, कि 20वीं सदी के अंत में मानवता के लिए सबसे बड़ा अभिशाप हैं। किसी भी समाज के सर्वांगीण विकास की बुनियाद–शिक्षा हैं। महिला शिक्षा का अर्थ हैं पूरे परिवार की शिक्षा, समाज और राष्ट्र की शिक्षा हैं। मानवीय साधनों का पूर्ण विकास, परिवार तथा समाज में सुधार, बच्चे के चरित्र–निर्माण एवं देश के उत्थान के लिए शिक्षा अनिवार्य हैं। महिला शिक्षा समाज का आधार हैं। समाज द्वारा पुरूष को शिक्षित करने का लाभ केवल पुरूष को होता हैं जबकि महिला शिक्षा का स्पष्ट लाभ परिवार, समाज एवं सम्पूर्ण राष्ट्र का होता हैं, क्योंकि महिला ही माता के रूप में बच्चे की प्राथमिक अध्यापक बनती हैं। यद्यपि कुछ समय तक महिला शिक्षा के समर्थक कम थे, किंतु आज समय एवं परिस्थितियों ने महिला शिक्षा को अनिवार्य बना दिया हैं। वास्तविकता यह हैं कि शिक्षा के क्षेत्र में विस्तृत रूप में लिंगवादी विषमता अत्यधिक पायी जाती हैं। शैक्षिक सूचीतम् में भारत का स्थान 121 वाँ हैं और पुरूषों की अपेक्षा महिला शिक्षा की दर 2/3 पाई जाती हैं।

राजनीतिक क्षेत्र में महिलाओं की समान भागीदारी उनकी प्रगति की प्रक्रिया में अहम भूमिका निभाती है। नीतिगत निर्णय लेने तथा उन निर्णयों को लागू करने में महिलाओं की समान सहभागिता न केवल प्रजातंत्र की आवश्यकता हैं, अपितु यह महिला सशक्तिकरण की प्राथमिक शर्त भी हैं। इसका अभिप्राय शासन तथा प्रत्येक स्तर पर निर्णय लेने तथा समाज को निर्देशित करने में महिलाओं की भूमिका को बढ़ाने से हैं। राजनीति तथा नीतिगत निर्णयों में महिलाओं की भागीदारी संस्थागत परिवर्तन लाने हेतू आवश्यक हैं। प्रजातांत्रिक अभिव्यक्ति के लिए राजनीतिक भागीदारी अत्यंत आवश्यक हैं। परन्तु सत्य यह हैं कि महिलाओं की राजनीतिक व सामाजिक स्थिति में मध्यकाल में शुरू हुआ क्षरण आज भी जारी हैं। कुछ महत्वपूर्ण नामों को छोड़ दिया जाये, तो विश्व सहित भारत का राजनीतिक पटल भी लगभग महिला विहीन ही हैं। आज के राजनीतिक प्रधान समाज में किसी भी वर्ग का राजनीतिक प्रतिनिधित्व बहुत महत्वपूर्ण हैं, लेकिन आज भी भारतीय राजनीति में महिलाओं का प्रतिनिधित्व बहुत ही कम हैं।

स्वतंत्र भारत में महिलाओं की स्थिति में कोई आश्चर्यजनक परिवर्तन नहीं हुआ हैं। यद्यपि महिलाओं की संवैधानिक स्थिति मजबूत हैं, किंतु उन्हें वचन की कठोर स्थिति का सामना करना पड़ता हैं। हालांकि लिंगवादी असमानता भारतीय संविधान द्वारा प्रतिबंधित हैं और महिलाओं को पुरूषों के समान ही राजनीतिक समानता प्रदान किया गया हैं। फिर भी इस संवैधानिक स्थिति के बावजूद महिलाएं वास्तविकता में अपने अधिकारों का प्रयोग नहीं कर पाती हैं। स्वतंत्रता प्राप्ति के इतने वर्षो के पश्चात् भी यदि अपवादों को छोड़ दे तो यह एक कटु सत्य हैं कि शक्ति के क्षेत्र व राजनीतिक अधिकार से महिलाएं बाहर ही रही हैं। यद्यपि मताधिकार के कारण महिलाओं की सहभागिता में वृद्वि हुई हैं, फिर भी विधि निर्माण व विधि क्रियान्वयन में उनकी सहभागिता व प्रतिनिधित्व संतोषजनक नहीं हैं। वास्तविकता में महिला प्रतिनिधि

ISSN 2321-0567
Vol. XI, Issue I (April – 2023)

जाति व वर्ग के आधार पर पितृसत्तात्मक प्रकृति, सामाजिक, पर्यावरणीय, नृजातीय व धार्मिक अलगाव से प्रभावित होती है।

इस प्रकार महिला प्रतिनिधि ग्राम प्रशासन में पुरूष प्रभुसत्ता से मुक्त नहीं हैं, इसके पीछे बहुत सारे कारण हैं–

1. जागरूकता की कमी,
2. सामाजिक व आर्थिक सशक्तिकरण की कमी,
3. राजनीतिक इच्छाशक्ति की कमी,
4. उत्तरदायित्व क्रियाविधि की अशक्तता,
5. पुलिस फोर्स द्वारा बाध्यता की कमी,
6. लिंगवादी संस्कृति की कमी

तो यहाँ यह प्रश्न उठता हैं, कि किस प्रकार राजनीति में महिलाओं की सहभागिता को बढ़ाया जायें तो प्रत्युत्तर में यह कहा जा सकता हैं कि आरक्षण के द्वारा महिलाओं की सहंभागिता में बृद्वि हो सकती हैं। हालांकि केवल आरक्षण से ही सभी समस्याओं का समाधान नहीं हो सकता। जब तक कि महिलाएं स्वयं अपने अधिकारों के प्रति जागरूक नहीं होती। इस दिशा में भारतीय संविधान में महिलाओं के प्रगति के लिए सकारात्मक प्रावधान किये गये हैं। भारतीय संविधान में न केवल महिलाओं को समानता ही प्रदान करता है, बल्कि महिलाओं के पक्ष को सशक्त बनाता हैं। स्वतंत्र भारत में महिलाएं अनेक महत्वपूर्ण पदों को प्राप्त कर रही हैं, जिनमें प्रधानमंत्री, राजदूत, कैबिनेट मंत्री, विधायक, राज्यपाल, वैज्ञानिक, अभियांत्रिक, चिकित्सक न्यायिक अधिकारी इत्यादि पद हैं। इसके साथ ही हिन्दू कानून भी परिवर्तित व संशोधित हुए हैं, हिन्दू विवाह कानून में परिवर्तन हुए हैं, इसके अतिरिक्त बालिकाओं को हिन्दू उत्तराधिकार कानून प्रदान किया गया, इसके साथ उन्हें अपने सम्पत्ति का भी अधिकार प्रदान किया गया हैं, संविधान द्वारा महिलाओं को समान अधिकार प्रदान किया गया हैं, इस संदर्भ में जाति, धर्म व लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया गया हैं।

निष्कर्षतः यह कहा जा सकता हैं, कि भारतीय संविधान में किये गये सकारात्मक संवैधानिक प्रावधान ने महिलाओं को सशक्त करने में अपनी महत्वपूर्ण भूमिका निभायी हैं, इसके साथ ही सरकार व विभिन्न एजेंसियों द्वारा चलाए जा रहे चेतना जागृत करने वाले कार्यक्रमों के कारण स्थिति में काफी सुधार दिख रहा हैं। इसके परिणामस्वरूप यह देखा जा सकता हैं, कि भारतीय महिलाओं ने जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में सफलता अर्जित की हैं, पुरूषों के वर्चस्व को कड़ी चुनौती हैं। कई कार्यक्षेत्रों में तो महिलाओं ने पुरूषों से भी अधिक प्रभावी भूमिका अदा की हैं। आज भी राजनीति में महिलाएं आ रही हैं, लेकिन पुरूषों के मुकाबले में आज भी वे काफी पीछे हैं। महात्मा गाँधी ने इस संदर्भ में कहा था कि– ***"महिलाओं को सम्मान वैधानिक और राजनीतिक अधिकार दिये जाने चाहिए तभी भारत की आजादी सार्थक हो पायेगी।"*** राजनीति में महिलाओं की पर्याप्त भागीदारी और सत्ता में उनकी समान भागीदारी के अभाव में हमारी आधुनिकता, विकास सब कुछ असम्भव हैं।

संदर्भ–सूची

1. नैयर, रेणुका, ("नारी स्वातंत्रय के बदलते रूप", प्रकाशक, अभिषेक पब्लिकेशन, दिल्ली–1990
2. कुमार, राधा (सम्पादक): "स्त्री संघर्ष का इतिहास", वाणी प्रकाशन, नई दिल्ली–2009

3. स्याल, शान्तिकुमारः "नारी मुक्ति संग्राम", प्रकाशन, आत्माराम एंड सन्स, दिल्ली–1998
4. श्रीधरम्ः "स्त्री संघर्ष और सृजन", अंतिका प्रकाशन, गाजियाबाद–2008
5. डॉ0 अनीता मोदी, "महिला सशक्तिकरणः विविध आयाम", वाईकिंग बुक्स, जयपुर, 2011, पृ0 137
6. डॉ0 सियाराम, "नयी सहस्त्राब्दी में स्त्री विमर्श : चिन्तन के विविध संदर्भ", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ037
7. राकेश द्विवेदी, "महिला सशक्तिकरणः चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ", पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल, 2005, पृ0 64
8. डॉ0 अनीता मोदी, "महिला सशक्तिकरण :विविध आयाम", वाईकिंग बुक्स, जयपुर, 2011, पृ0 2
9. राकेश द्विवेदी, "महिला सशक्तिकरण :चुनौतियाँ एवं रणनीतियाँ", पूर्वाशा प्रकाशन, भोपाल, 2005, पृ0 192
10. डॉ0 सियाराम, "नयी सहस्त्राब्दी में स्त्री विमर्श : चिन्तन के विविध संदर्भ", ओमेगा पब्लिकेशन्स, नई दिल्ली, 2012, पृ0 242
11. भारतीय नारी : वर्तमान समस्यायें और भावीं समाधान, डॉ0 आर0 पी0 तिवारी, डॉ0 डी0पी0 शुक्ला, ए0पी0एच0 पब्लिशिंग कॉरपोरेशन, नई दिल्ली
12. मानव और महिला अधिकार– एम0 ए0 अंसारी
13. पराशर, चिरंजीलाल, नारी और समाज, दिल्ली पुस्तक सदन, पटना 1961
14. चक्रवर्ती रेणु, भारतीय महिला आंदोलन में महिलाओं की भूमिका–पीपुल्स पब्लिशिंग हाउस, नई दिल्ली
15. देसाई नीरा, भारतीय समाज में नारी, मैक मिलन इण्डिया लि0 नई दिल्ली–1982
16. गांधी, महात्मा, स्त्रियॉ और उनकी समस्याएँ, जन जीवन प्रकाशन मन्दिर अहमदाबाद–1959
17. दैनिक जागरण कसौटी – 12 जनवरी 2007 पटना।